

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:—प्र0/बजट-04/2025—

/पटना, दिनांक:—

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

विद्युत निरीक्षक—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना।

विषय:—

मुख्य शीर्ष-2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क, उपशीर्ष-0001—विद्युत निरीक्षणालय के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-227 दिनांक-28.03.2025 के आलोक में मांग सं0-10, मुख्य शीर्ष-2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क, उपशीर्ष-0001—विद्युत निरीक्षणालय, विपन्न कोड-10-2045001030001 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राशि के खर्च की अनुमति नीचे अंकित विषयों में निम्न प्रकार से दी जाती है:—

(रूपये में)

विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
01-01 वेतन	47,70,000 /—	47,70,000 /—	4,05,000 /—	51,75,000 /—
01-03 जीवन यापन भत्ता	29,57,000 /—	29,57,000 /—	1,02,000 /—	30,59,000 /—
01-04 मकान किराया भत्ता	9,54,000 /—	9,54,000 /—	81,000 /—	10,35,000 /—
01-05 परिवहन भत्ता	3,70,000 /—	3,70,000 /—	00 /—	3,70,000 /—
01-06 चिकित्सा भत्ता	1,32,000 /—	1,32,000 /—	00 /—	1,32,000 /—
योग:—वेतन एवं भत्ते	91,83,000 /—	91,83,000 /—	5,88,000 /—	97,71,000 /—
06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,00,000 /—	3,00,000 /—	00 /—	3,00,000 /—
11-01 यात्रा व्यय	50,000 /—	50,000 /—	00 /—	50,000 /—
13-01 कार्यालय व्यय	3,00,000 /—	3,00,000 /—	00 /—	3,00,000 /—
13-03 दूरभाष	25,000 /—	25,000 /—	00 /—	25,000 /—
13-04 विद्युत प्रभार	2,50,000 /—	2,50,000 /—	00 /—	2,50,000 /—
13-05 विधि प्रभार	10,000 /—	10,000 /—	00 /—	10,000 /—
13-06 वर्दी/पोशाक	15,000 /—	15,000 /—	00 /—	15,000 /—
13-10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	4,68,000 /—	4,68,000 /—	00 /—	4,68,000 /—
28-02 संविदा सेवाएँ	10,85,000 /—	10,85,000 /—	00 /—	10,85,000 /—
52-01 मशीनें एवं उपस्कर	1,50,000 /—	1,50,000 /—	00 /—	1,50,000 /—
कुल योग:—	1,18,36,000 /—	1,18,36,000 /—	5,88,000 /—	1,24,24,000 /—

(पाँच लाख अठासी हजार) रुपये।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. यह राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन संख्या एवं तिथि विषय शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख करेंगे। साथ ही संबंधित विपत्र पर इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना अनिवार्य होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है।
4. व्यय का ब्यौरा निश्चित रूप से प्रत्येक माह के 7 तारीख तक ऊर्जा विभाग (बजट शाखा) को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0/बजट-04/2025-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0/बजट-04/2025-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/वित्त प्रशाखा/जिलाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र0/बजट-04/2025- 5940

/पटना, दिनांक:- 19.12.2025

प्रतिलिपि:-उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।